



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2016/माघ 8, 1937

No. 233]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2016/MAGHA 8, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016

का.आ. 263(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 50(अ), तारीख 06.01.2015 जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

(i) सारणी 1 और 2 के बाद पाइंट 1 निम्नप्रकार संशोधन किया जाएगा:

नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
44.500 कि.मी. (डिजाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 46.500 कि.मी.) (कच्छ जिले में मोखा गांव के पास)	62.500* (अंजार बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)

*स्थल (साइट) पर वास्तविक निर्माण के अनुसार सड़क की लम्बाई 62.670 कि.मी. है, तथापि, अनुसूची आर. के अनुसार टोल योग्य लम्बाई को 62.500 कि.मी. तक प्रतिबंधित किया गया है।

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/780/सीओ/14-15/जीसी/गांधीधाम (कांडला)—मुंद्रा पोर्ट सेक्शन—बीओटी]

टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 50(अ) तारीख 06 जनवरी, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2016

S.O. 263(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 50 (E), dated 06.01.2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

(i) Point 1 after Table 1 & 2 shall stand revised as under:—

The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
km 44.500 (design chainage) (existing chainage km 46.500) (near Mokha village in Kutch district)	62.500* (excluding length of Anjar Bypass)

*Length of road as per actual construction at site is 62.670 km however the tollable length is restricted to 62.500 km as per Schedule R.

[F. No. NHAI/13013/780/CO/14-15/GC/ Gandhidham (Kandla –Mundra Port Section–BOT)]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide S.O. 50(E) dated 06th January.2015.